उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-16 /2022/114/22-4-2022-48(45)/19टीसी
लखनऊ : दिनांक- 04 फरवरी, 2022

शुद्धि पत्र

जिला कारागार, प्रतापगढ़ में ट्यूबवेल ओवरहैड टैंक एवं पाइप लाइन के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक-15/2022/48/22-4-2022-48(45)/19टीसी, दिनांक-27 जनवरी, 2022 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2021-22 पढ़ा जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2022 /114(1)/22-4-2022-तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in